LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Tuesday, August 05, 2025 / Sravana 14, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, August 05, 2025 / Sravana 14, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

CONTENTS	PAGES
OBITUARY REFERENCES	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 221 – 222)	1A – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 223 – 240)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2531 – 2760)	51 – 280

Uncorrected – Not for Publication LSS-D-II

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Tuesday, August 5, 2025 / Sravana 14, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, August 5, 2025 / Sravana 14, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 85**
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS	**286**
29th to 32nd Reports	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 68TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING – LAID	**286**
Shri Ram Nath Thakur	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 1ST REPORT OF STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ – LAID	**287**
Shri Kamlesh Paswan	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 8TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING – LAID	**287**
Shri Bhagirath Choudhary	
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**288 - 302**
Shrimati Roopkumari Choudhary	**288**
Dr. K. Sudhakar	**288**
Shri Arun Govil	**289**
Shri Atul Garg	**289**
Shrimati Bharti Pardhi	**290**

Shri Rajkumar Chahar	**290**
Dr. C. M. Ramesh	**291**
Shri Vishweshwar Hegde Kageri	**291**
Shri Arun Kumar Sagar	**292**
Shri Praveen Patel	**292**
Shrimati Aparajita Sarangi	**293**
Dr. Manna Lal Rawat	**293**
Shri Gopal Jee Thakur	**294**
Shri B. Manickam Tagore	**294**
Shri Shafi Parambil	**295**
Md. Rakibul Hussain	**295**
Shri S. Supongmeren Jamir	**296**
Shri Ummeda Ram Beniwal	**296**
Prof. Varsha Eknath Gaikwad	**297**
Shri Chhotelal	**297**
Shri Pushpendra Saroj	**298**
Shrimati Pratima Mondal	**298**
Shri Malaiyarasan D.	**299**
Shri Ravindra Dattaram Waikar	**299**
Shrimati Shambhavi	**300**
Shri Balashowry Vallabhaneni	**300**
Shri Amra Ram	**301**
Shri Umeshbhai Babubhai Patel	**301**
Shri N. K. Premachandran	**302**

READJUSTMENT OF REPRESENTATION OF SCHEDULED TRIBES IN ASSEMBLY CONSTITUENCIES OF STATE OF GOA BILL -- (Contd. - Concluded)	**303 - 09**
Shri Arjun Ram Meghwal	**303 - 04**
Motion for Consideration – Adopted	**304**
Consideration of Clauses	**304 - 09**
Motion to Pass	**309**

xxxx

(1100/GG/SRG)
1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अत्यंत दुख के साथ हमारे तीन पूर्व सहयोगियों के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री शिबु सोरेन झारखंड के दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं तथा 16वीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होने केंद्रीय कोयला मंत्री तथा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। वे राज्य सभा के वर्तमान सदस्य थे और इससे पहले भी दो बार राज्य सभा के सदस्य रह चुके थे।

श्री सोरेन ने तीन बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद का दायित्व भी संभाला था।

श्री सोरेन ने सामाजिक न्याय और जनजातीय समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड राज्य के गठन में उनकी उल्लेखनीय भूमिका को सदैव याद किया जाएगा।

श्री शिबु सोरेन का निधन 81 वर्ष की आयु में 4 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह झारखंड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 13वीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दीं।

इससे पहले, श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह बिहार विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह का निधन वर्ष की 87 आयु में 21 अप्रैल, 2025 को झारखंड के गिरिडीह में हुआ।

श्री राम रति बिन्द उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले वह दो बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।

श्री राम रति बिन्द का निधन 83 वर्ष की आयु में 15 जून, 2025 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

अब सभा दिवंगत पुण्यात्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ओम शांतिः शांतिः शांतिः।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 221. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव जी।

1104 बजे

(इस समय श्री अभय कुमार सिन्हा, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन,
श्री इमरान मसूद, श्री राजकुमार रोत, सुश्री सयानी घोष और कुछ अन्य
माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

(Q. 221)

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK): Hon. Speaker, Sir, will the Minister of Agriculture and Farmers Welfare be pleased to state details of the schemes providing subsidies and other benefits available to the farmers, the instances of suicides by the farmers in the country and the steps taken to address the same? The Direct Benefit Scheme made for the farmers include the Kisan Samman Nidhi. … (*Interruptions*) The hon. Minister is requested to provide the details of the measures taken for the welfare of the farmers, particularly in the State of Telangana. … (*Interruptions*)

(1105/YSH/SM)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान हितैषी सवाल पूछा है। … (व्यवधान) मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। यह सवाल किसानों के व्यापक हितों से संबंधित है। यह सवाल किसानों की आय को बढ़ाने के लिए है। यह सवाल किसानों के कल्याण की योजनाओं के बारे में है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। यह विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? प्रतिपक्ष लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। … (व्यवधान) यह मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा है। मेरे सवाल किसानों से संबंधित हैं, गरीबों के कल्याण से संबंधित हैं। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानने का अधिकार है। इसीलिए ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूँ। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग बहुत शोर-शराबा कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। … (व्यवधान) उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का ठीक दाम देना, लाभकारी मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो

भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए गए हैं। … (व्यवधान) उन उपायों के परिणामस्वरूप किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दोगुनी से ज्यादा हुई है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि 'पीएम किसान सम्मान निधि', 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना', उर्वरक सब्सिडी, एमआईएस जैसी योजनाओं के अंतर्गत और 'प्रधान मंत्री सम्मान निधि' के अंतर्गत लगभग चार लाख करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधे डाले गए हैं। … (व्यवधान) ऐसा आज तक नहीं हुआ है। क्या इन्होंने कभी किसानों के खाते में पैसा दिया है? 'फसल बीमा योजना' के अंतर्गत 2 लाख 12 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि अकेली फर्टिलाइजर सब्सिडी पर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 14 लाख 6 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। यूरिया की एक बोरी की कीमत 1633.24 पैसे है, जिसे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार 266 रुपये में दे रही है। किसानों को 45 किलो की एक बोरी पर 1367.24 पैसे की सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 किलो की डीएपी की एक बोरी की कीमत 3,100 रुपये है, लेकिन मोदी जी की सरकार उसे 1350 रुपये में दे रही है। … (व्यवधान) कुल मिलाकर अकेली उर्वरक सब्सिडी के अतंर्गत 14 लाख 6 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं। एमआईएस स्कीम के तहत नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के खाते में 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये डालने का काम किया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में दम है तो सुन ले कि हमने किसानों के लिए कितना काम किया है। जब नारे लगाने वालो की सरकार थी तो किसानों से दाल, तिलहन और खोपरा की खरीदी केवल 6 लाख मीट्रिक टन की की गई थी और हमने 1 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की है। … (व्यवधान)

(1110/STS/GM)

अध्यक्ष महोदय, पीएम आशा योजना के अंतर्गत गेहूं और धान की खरीद पर क्रमश: एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये गेहूं की खरीद और 6 लाख चार हजार करोड़ रुपये धान की खरीद पर और 14 लाख 43 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाले गये हैं। पूरे देश को यह पता होना चाहिए कि 11 वर्षों में 43 लाख 87 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाल कर उनकी जिंदगी बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है।… (व्यवधान)

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK): In the last 10 years, Government of India has developed various new varieties of seeds

and many new agricultural techniques. Have any steps been taken by the Government or any campaign launched to make the farmers aware of this issue? Could you please provide the details to this House?

Secondly, in India, more than 80 per cent of our farmers are small and marginal farmers. Could you provide full details of which Government schemes are benefitting small and marginal farmers, and whether these efforts are increasing the income of farmers?

Could you provide the details of agriculture schemes that have implemented the Direct Benefit Transfer to ensure the seamless benefits to farmers and citizens? What is the total amount disbursed through DBT in the current financial year 2025-26? Additionally, what are the estimated savings or benefits that have occurred to the Government due to the DBT and the administrative reforms, and what specific measures have contributed to these gains?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उधर वालों की सरकार थी, तब एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वे कहते थे कि मैं अगर एक रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा ही पहुंचता है। … (व्यवधान) बीच का रास्ते में ही गायब हो जाता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर एक रुपया भेजा जाता है, तो सीधा एक रुपया ही किसान के खाते के में पहुंचता है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है- … (व्यवधान) 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपए डीबीटी के माध्मय से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि डाली गयी। … (व्यवधान) 2 लाख 12 हजार करोड़ की राशि फसल बीमा योजना के तहत डाली गयी। … (व्यवधान) 1 लाख 70 हजार करोड़ की राशि पीएम आशा योजना के तहत डाली गयी। … (व्यवधान) 6 लाख 4 हजार करोड़ की राशि गेहूं की खरीद के लिए डाली गयी। … (व्यवधान) 14 लाख 43 हजार करोड़ की राशि धान की खरीद के लिए डाली गयी। 22 लाख 17 हजार करोड़ रुपए की राशि एमएसपी पर खरीद के लिए डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे अंतरित की गयी है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपया जो इधर-उधर फर्जीवाड़े में चला जाता था, वह एक-एक पैसा बचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। एक-एक पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाने का चमत्कार अगर कोई कर रहा है, तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है।… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 222)

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत विस्तार के साथ जवाब दिया है। … (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के पुनर्गठन के बाद वहां सड़क संपर्क में सुधार और विस्तार हुआ है? दूसरा प्रश्न मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शीतकाल में मुख्यालय से दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं? कृपया माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। … (व्यवधान)

(1115/STS/GTJ)

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछा है, उसकी विस्तृत जानकारी उत्तर में दी गई है। … (व्यवधान) फिर भी, मैं संक्षेप में अपना उत्तर इस सदन में जरूर रखना चाहूंगा। पिछले 72 वर्षों में यानी आजादी के बाद से वर्ष 2019 तक लद्दाख के केन्द्रशासित क्षेत्र बनने से पहले मात्र 1800 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थीं, लेकिन यूटी बनने के बाद लद्दाख में वर्ष 2019 के बाद 1670 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। … (व्यवधान) सौ से अधिक आबादी वाली लगभग सारी बस्तियों में सड़क संपर्क स्थापित कर दिए गए हैं। 230 किलोमीटर कारगिल-ज़ांस्कर रोड, 298 किलोमीटर निम्मू-पदुम-दारचा रोड का कार्य प्रगति पर है। जोजिला सुरंग और शिंकू ला सुरंग का कार्य प्रगति पर है। 45 नये पुलों का निर्माण हुआ है, ताकि रोड को सपोर्ट मिल सके। … (व्यवधान) जहां नाला या कोई अवरुद्ध वाली स्थिति है, वहां सुदृढ़ पुल भी बनाया गया है, जिनकी संख्या 45 है। कारगिल-ज़ांस्कर मार्ग अब 154 दिनों से घटकर मात्र 39 दिन और जोजिला मार्ग 127 दिनों से घटकर अब सिर्फ 29 दिन ही बंद रह रहा है। … (व्यवधान) इसका अर्थ है कि यातायात की सुविधाएं काफी बढ़ी हैं। … (व्यवधान)

महोदय, जहां तक इन्होंने … (व्यवधान) सर्दियों में लद्दाख के मार्ग के अवरूद्ध होने के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी, उसके लिए अब लद्दाख में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। … (व्यवधान) बर्फ हटाने वाली 156 मशीनों की खरीद की गई है। बर्फ हटाने वाली मशीने, हाइड्रॉलिक क्रेन, रिकवरी वाहन आदि सभी आवश्यक मशीनों के द्वारा मार्ग के अवरोधों को हटाने की व्यवस्था की गई है। बीआरओ द्वारा सड़कों को साल भर खुला रखा जा रहा है, जिसके कारण कारगिल-ज़ांस्कर मार्ग वर्ष 2019-20 में 154 दिनों की तुलना में अब 39 दिन ही बंद रह रहा है। … (व्यवधान) जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। जोजिला मार्ग अब केवल 29 दिन ही बंद रह रहा है। जोजिला सुरंग और शिंकू ला सुरंग परियोजना प्रगति पर है। … (व्यवधान) कनेक्टिविटी और इमरजेंसी हेतु हेलीकॉप्टरों के लिए 23 हेलीपैड और 2 हैंगर्स का निर्माण किया गया है, ताकि बर्फबारी की स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हेतु लोगों की सहायता की जा सके तथा आवश्यक वस्तुएं, चाहे वे इमरजेंसी से संबंधित हों, उनको हम वहां ले जा सकें, पहुंचा सकें। सभी 193 ग्राम पंचायतों में वीसैट (VSAT) कनेक्टिविटी स्थापित कर दी गई है। बीआरओ,

एनएचआईडीसीएल, बीसीएल तथा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा राजनीतिक और लंबी दूरी की सीमा संपर्कता जैसे दौलत बेग ओल्डी, चुशूल, व पैंगोंग झील, डेमचोक आदि तक सड़कों की देखभाल की जा रही है, ताकि सर्दियों के मौसम में भी यातायात सुगम रह सके।

श्री शंकर लालवानी (इंदौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक अन्य प्रश्न पूछना चाहता हूं। संघ राज्य क्षेत्र बनने के बाद लद्दाख के विकास में इसका क्या प्रभाव पड़ा? दूसरा, वहां सिंधु नदी बहती है, प्रतिवर्ष वहां सिंधु दर्शन यात्रा पर देशभर के यात्री तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। … (व्यवधान) इस हेतु लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए? माननीय मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, इसका काफी प्रभाव कई क्षेत्रों में पड़ा है। … (व्यवधान) सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, खेल के क्षेत्र में भी अवसंरचना के बनने और उसके विकास के कारण रोजगार के काफी अवसर लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों के जन-जीवन में भी खुशियां पहुंच रही हैं।

(1120/MK/RCP)

उसके कारण लोगों के जन-जीवन में भी खुशियां पहुंच रही हैं। … (व्यवधान) पर्यटन के क्षेत्र में 9 पर्यटक मार्ग, दो पर्यटक सर्किट और 30 ट्रैकिंग मार्ग भी खोले गए हैं। डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की गई है। सियाचिन बेस कैंप को बेसिक पर्यटकों के लिए खोला गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'आयुष्मान भारत मिशन' के तहत शत-प्रतिशत आबादी कवर की गई है। 321 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र खोले गए हैं। वर्ष 2019 से पहले कोई ऐसा केंद्र नहीं था। डॉक्टरों की संख्या बढ़कर 824 से 1554 हो गई है। … (व्यवधान) शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के स्कूल जाने की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी स्कूलों में नामांकन पहले 46,895 था, जो अब लगभग 54,756 हो गया है। … (व्यवधान)

महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है? इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा है। विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में वहां ऊर्जा संयंत्र का कार्य शुरू है। 220 केवी नुब्रा और 220 केवी जांस्कर ट्रांसमिशन लाइन निर्माणाधीन हैं। चांगथांग क्षेत्र के लिए 687 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन लाइन की मंजूरी दी गई है। … (व्यवधान)

महोदय, खेल के क्षेत्र में एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण हुआ है। … (व्यवधान) आइस हॉकी रिंक विकसित हो रहा है। वहां इन अवसंरचनाओं के पश्चात विकास को बहुत गति मिली है। … (व्यवधान)

जहां तक सिंधु के उस क्षेत्र का प्रश्न है, जहां काफी पर्यटक जाते हैं, पहले भी मैंने बताया है कि जहां तक सिंधु जल का केंद्र है, सिंधु के उस पर्यटन केंद्र तक लोगों को पहुंचाने के लिए हर मौसम में सड़क सुविधा और रोड के किनारे उनको सहूलियत हो, उसके लिए अवसरंचना विकसित की जा रही है। अगर वहां बाहर से भी लोग जाएं तो वहां लेह में कई सौ करोड़ रुपये की लागत से नयी तकनीक के आधार पर एयरपोर्ट के उन्नत और उन्नयन का कार्य हो रहा है। … (व्यवधान)

(pp. 7-30)

डॉ. भोला सिंह (बुलन्दशहर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को गृह मंत्री के रूप में लंबा समय पूरा करने के लिए शुभकामना एवं बधाई देता हूं। … (व्यवधान)

महोदय, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2019 में लद्दाख संघ क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं, उसकी जानकारी दी है। वर्ष 2019 के बाद बहुत ही सराहनीय कार्य हुए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र बनने के बाद कृषि और बागवानी के क्षेत्र में विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अगर कदम उठाए गए हैं तो उनके परिणाम क्या हैं? … (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, कृषि और बागवानी पर वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर है। वहां कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन को नियोजित तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से बाधित करना चाहते हैं। मैंने सदन को चलाने का प्रयास किया। प्रश्न काल में माननीय सदस्य के बोलने का समय होता है, लेकिन आपको कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुन: आपसे आग्रह करना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर बैठेंगे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से सदन को स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1125 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/SK/HDK)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं।)

1400 बजे

(इस समय श्री गुरमीत सिंह औजला, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, श्री युसूफ पठान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1400 बजे

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1401 बजे

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री जितिन प्रसाद।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.2040(अ) जो दिनांक 7 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.3127(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर): माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2346(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) पाँचवां संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 10 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2539(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1236(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 2 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.483(अ) में प्रकाशित हुए थे।

… (<u>व्यवधान</u>)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) : माननीय सभापति महोदया, श्री नित्यानंद जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (प्रक्रिया) नियम, 2025, जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.489(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति को बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोतर प्रयोग हेतु वर्ष 2023-2024 के लिए कार्यक्रम तथा इसके कार्यान्वयन हेतु 55वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (<u>व्यवधान</u>)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) : माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Madam, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Pabitra Margherita, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jute Products Development & Export Promotion Council, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jute Products Development & Export Promotion Council, Kolkata, for the year 2023-2024.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Birds Jute and Exports Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Birds Jute and Exports Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

… (*Interruptions*)

लोक लेखा समिति
29वां से 32वां प्रतिवेदन

1403 बजे

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय सभापति महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'डाक विभाग में सार्वजनिक राशि का दुर्विनियोजन' विषय पर लोक लेखा समिति के 84वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन।

(2) 'सागर प्रहरी बल की स्थापना और संचालन' विषय पर लोक लेखा समिति के 86वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसवां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना' विषय पर लोक लेखा समिति के 89वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन।

(4) 'दिल्ली पुलिस में जनशक्ति और लॉजिस्टिक का प्रबंधन' विषय पर लोक लेखा समिति के 140वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

1404 बजे

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर): माननीय सभापति महोदया, मैं कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान): माननीय सभापति महोदया, मैं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) : माननीय सभापति महोदया, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

(1405/VVK/PS)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1405 बजे

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

Re: Alleged irregularities in appropriation of compensation amount for acquisition of land for construction of roads in Chhattisgarh under Bharatmala Project

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी (महासमुन्द) : छत्तीसगढ़ में भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम तक 463 किमी लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। ₹25,650 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में अनियमित्तताओं के चलते भूमि के फर्जी विभाजन, बैकडेटेड दस्तावेज़ों और फर्जी नामों के ज़रिए वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक मुआवजा राशि निकाली गई। उदाहरणस्वरूप, अभनपुर क्षेत्र के नायकबांधा और उरला-2 गांवों में 29.5 करोड़ की भूमि को विभाजित कर 78 करोड़ रुपये के मुआवजे के रूप में दर्शाया गया, जिससे एक ही परिवार को ₹70 करोड़ तक की राशि प्राप्त हुई। अभनपुर बेल्ट के 9.38 किमी में ₹324 करोड़ मुआवजा स्वीकृत हुआ, जिसमें ₹246 करोड़ जारी भी हो गए। प्रारंभिक जांच में ₹43.19 करोड़ के गबन की पुष्टि हुई, जबकि कुल हानि ₹220–326 करोड़ रुपये तक होने की आशंका है। इस मामले में SDM, तहसीलदार, पटवारी समेत कई अधिकारियों पर FIR दर्ज हुई है तथा EOW और ACB ने 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर कई गिरफ्तारियां की हैं। भविष्य में छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों सहित भारत माला परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के लिए ज़िम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। (इति)

Re: Need to expedite the process of land acquisition for Bengaluru Suburban Railway project in Karnataka

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Railways to the serious setback suffered by the Bengaluru Suburban Railway Project (BSRP), a critical ₹15,000+ crore infrastructure initiative approved in 2020. The executing agency for two vital corridors, has terminated its contract citing the delay in providing even 10% of encumbrance-free land despite over two years of repeated assurances. This has pushed the project into indefinite limbo, causing massive delays in timelines, cost overruns, idle machinery and stalled progress need for fresh tendering, which likely to delay resumption by over 6 months. Meanwhile, the State Government prioritises a ₹30,000 crore tunnel road vanity project, ignoring the daily suffering of lakhs of Bengaluru commuters battling gridlock and poor public transport. I urge the Hon'ble Minister to review the situation, fix accountability, and initiate central monitoring of land acquisition to prevent further delays. Bengaluru cannot afford another decade to be lost due to delay in the process. (ends)

Re: Need for effective implementation of Pradhan Mantri Poshan Yojana in the country

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : भारत में आज भी लाखों बच्चों और माताओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति केवल स्वास्थ्य से जुड़ी नहीं, बल्कि देश के भविष्य से भी जुड़ी है। कुपोषण से न केवल बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की उत्पादकता और आत्मनिर्भरता भी प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री पोषण योजना एक प्रभावशाली पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। लेकिन योजना की सफलता इसके सही और सशक्त क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कई बार योजनाएं ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो पातीं, या उनके लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते। समस्या केवल भोजन की कमी नहीं, बल्कि पोषण के प्रति जागरूकता की भी है। हमें ज़रूरत है स्कूलों, आंगनवाड़ियों, माताओं और समुदायों को इस दिशा में संगठित करने की। सरकार, समाज और नागरिकों — तीनों का साझा उत्तरदायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि देश का कोई बच्चा भूखा और कुपोषित न रह जाए। जब हर बच्चा स्वस्थ होगा, तभी भारत सशक्त होगा। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इस योजना की निगरानी और क्रियान्वयन को और भी प्रभावी बनाया जाए।

(इति)

Re: Need to develop Ghaziabad Railway Station, Uttar Pradesh as a world-class railway station

श्री अतुल गर्ग (गाजियाबाद) : गाज़ियाबाद स्टेशन दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आता है और निज़ामुद्दीन, दिल्ली कैंट, सराय रोहिल्ला तथा आनंद विहार जैसे प्रमुख स्टेशनों की तरह, यह भी दिल्ली की भीड़ को कम करने में सहायक बन सकता है। इसका पूर्ण विकसित होना दिल्ली और आसपास के यात्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। स्टेशन के पास विजय नगर पंजाब लाइन की तरफ रक्षा मंत्रालय की खाली भूमि है जिसे पार्किंग, कार्गो सेंटर जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि इस भूमि को रेलवे या अन्य विभागों को हस्तांतरित किया जाए, तो यहाँ एक बड़ी योजना बनाकर स्टेशन को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है। मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूँ कि इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेकर गाज़ियाबाद को एक विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए।

(इति)

Re: Need to establish a Railway Container Terminal in Balaghat district, Madhya Pradesh

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : मैं इस सदन के माध्यम से मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। 'धान की कटोरी' कहे जाने वाले बालाघाट से बड़ी मात्रा में पेरबॉइल्ड राइस गल्फ और पश्चिम अफ्रीकी देशों को निर्यात होता है। परंतु 100 किलोमीटर के दायरे में कोई कंटेनर टर्मिनल न होने के कारण, पूरा कंटेनर ट्रैफिक नागपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो तक ट्रेलरों द्वारा भेजा जाता है, जिससे परिवहन लागत अत्यधिक बढ़ जाती है। बालाघाट में रेलवे की पर्याप्त खाली ज़मीन उपलब्ध है, जहां कंटेनर टर्मिनल विकसित किया जा सकता है। यदि यह सुविधा बालाघाट में स्थापित की जाती है, तो बालाघाट सहित गोंदिया, सिवनी, मंडला और तुमसर जैसे जिलों का कंटेनर ट्रैफिक भी यहीं केंद्रित हो सकेगा। इससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि SECR के नागपुर मंडल के अंतर्गत बालाघाट में एक समर्पित कंटेनर टर्मिनल की स्थापना हेतु शीघ्र निर्णय लिया जाए।

(इति)

Re: Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Fatehpur Sikri Parliamentary Constituency

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश) में कुल 6 तहसीलें हैं। इन क्षेत्रों में रेलवे, अर्धसैनिक बलों, डाक विभाग, रक्षा सेवाओं एवं अन्य केंद्रीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है, जो वर्षों से अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा की अपेक्षा कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इन छह तहसीलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय स्थापित नहीं है, जिससे न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को बल्कि सामान्य ग्रामीण जनसंख्या को भी शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तहसील किरावली के ग्राम पंचायत पुरामना में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है और तुरंत दी जा सकती है। यह स्थान किरावली तहसील मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अछनेरा रेलवे जंक्शन से ग्राम पुरामना की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, बिचपुरी, और फतेहपुर सीकरी जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे विद्यालय तक पहुँच सुगम और सुलभ है। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि तहसील किरावली के ग्राम पंचायत पुरामना में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि इस शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र को भी एक सशक्त और समान अवसर मिल सके।

(इति)

Re: Need to develop Pudimadaka in Anakapalli, Andhra Pradesh as a tourist destination

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): Govt of India is actively promoting Lighthouse Tourism under Maritime India Vision and Amrit Kaal Vision-2047 to enhance country's cultural heritage and maritime legacy. Lighthouses are not merely functional structures, but are repositories of India's history and culture, have cultural importance, potential for adventure, leisure, boost local economy and provide employment. Thanks to Hon'ble PM for selecting Pudimadaka Lighthouses to be developed for Tourism purpose. With 35 meters height, range of 20 candelas & 17 nautical miles of geographical area, Pudimadaka Lighthouse is nearly 60 years old. It has 4.5 acres of land with facilities such as police station, hospital, bank, etc., nearby. If this lighthouse is developed as tourist destination with museum, amphi-and-open-air-theatre, cafeteria, gazebo, children play area, landscaping, etc., it helps to develop tourism, provide employment to local youth and push economic activity of this area. Hence, I appeal to Minister of Tourism to develop Pudimadaka in Anakapalli as tourist destination at the earliest.

(ends)

Re; Need to expedite construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna in Uttara Kannada Parliamentary Constituency

SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI (UTTARA KANNADA): I bring to the kind attention of Hon'ble Minister of Rural Development about the issue under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) concerning construction of around 283 kms of roads on top priority in Uttar Kannada Parliamentary Constituency adjacent to Western Ghats in Karnataka keeping in view heavy rainfall. This 283 kms of roads spreads over: 1. Siddapura taluka-31 Kms, 2. Yallapura Taluka-38.50 Kms, 3. Haliyala Taluka-12 Kms, 4. Joida Taluka-6 Kms, 5. Dandali Taluka-8 Kms, 6. Honnavara Taluka-44 Kms, 7. Bhatkala Taluka-17 Kms, 8. Sirsi Taluka-60 Kms, 9. Mundgod Taluka-11Kms, 10. Ankola Taluka-34 Kms, 11. Kumta Taluka-13 Kms, 12. Karwar Taluka-8 Kms.

(ends)

Re: Need to release funds for construction of roads in Shahjahanpur Parliamentary Constituency under Central Road and Infrastructure Fund

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मैं सदन का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र शाहजहाँपुर (उ०प्र०) के अंतर्गत सेन्ट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (सी०आर०एफ०) स्कीम के तहत निम्नांकित दो महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के चौडीकरण और सुदृढीकरण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इन दोनों मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण क्षेत्र के विकास और जनता की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन मार्गों का विवरण निम्नलिखित है :-

1-तिलहर से नवादा मोड़ तक मार्ग (विकास खंड कटरा)

लंबाई: 22.85 किमी, चौड़ाई 7 मीटर (प्रस्तावित 10 मीटर)

यह एक राज्य मार्ग है, जो तिलहर, मूडैली, धनैला, मंसूरपुर, मिर्गापुर, कमालपुर, खैरपुर, खंडसार, चवरखास, पलिया पट्टी, उस्मानपुर टिसुई. जैतीपुर, गोसापुर, नवादा मोड़ आदि लगभग 20 गाँवों को जोड़ता है। इस मार्ग पर सीएचसी, थाना, इंटर कॉलेज, मंडी आदि स्थित हैं, और भारी वाहनों का आवागमन निरंतर बना रहता है। यह मार्ग जिला बदायू को भी जोड़ता है। यातायात घनत्व अधिक होने के कारण इसकी चौडाई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करना अत्यंत आवश्यक है। इसके निर्माण से लगभग 4.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

2. एनएच-30 (किमी 247) से फतियापुर तक मार्ग (विकास खंड ददरौल):

लंबाई 11 किमी, चौडाई 3.75 मीटर (प्रस्तावित 7 मीटर)।

यह अन्य जिला मार्ग है, जो पहरा सिकंदरपुर, सिसौआ, बरमौला, अर्जुनपुर, छीतेपुर, बजरिया, देवरास, सरसवा, तुर्कीखेड़ा आदि गाँवों को जोड़ता है। इस मार्ग पर भी सीएचसी, इंटर कॉलेज, मंडी आदि हैं। यह मार्ग जिला हरदोई के लिए बाईपास का कार्य करेगा। यातायात घनत्व अधिक होने के कारण इसकी चौडाई 3.75 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर करना अत्यंत आवश्यक है। इसके निर्माण से लगभग 2.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों सड़कों को सेन्ट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (सी०आर०एफ०) स्कीम के अन्तर्गत निर्मित करवाए जाने हेतु राज्य सरकार के पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को केन्द्रीय राशि का आवंटन शीघ्र किए जाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to bring Potato under MSP or to set up a mechanism to ensure appropriate price of potato to farmers in Uttar Pradesh

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : मैं आपके समक्ष अपने लोकसभा क्षेत्र फूलपुर एवं यूपी के किसानों की एक महत्वपूर्ण मांग को रखना चाहता हूं। आलू उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख फसल है, जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। देश के कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है और इस वर्ष यह उत्पादन लगभग 250 लाख मीट्रिक टन है। लेकिन अधिकांशतः मौसम की मार और बाज़ार मूल्यों की अनिश्चितता के कारण किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है,जिससे किसानों को अपने फसलों को कई बार खेत में ही छोड़ना पड़ जाता है। आलू की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर्गत नहीं की जाती है, उत्तर प्रदेश के किसान आलू की खेती के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उत्पादन लागत भी अधिक होती है। लेकिन MSP के अभाव में, उन्हें अपनी फसल को कम दाम पर बेचना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से उत्पादित फसल आलू को MSP के अंतर्गत लाया जाए अथवा अन्य मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि किसानों को अपनी फसल के लिए उचित मूल्य मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

(इति)

Re: Need for comprehensive measures to put in place the digital literacy programmes in Educational and Community Centres

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Electronics and Information Technology to the growing need for promoting digital literacy and awareness among the youth, especially in the context of the rapid proliferation of emerging technologies such as Artificial Intelligence, blockchain, virtual reality, and robotics. While India has witnessed significant growth in internet access and smartphone usage, a large section of young people, particularly in rural and semi-urban areas, still lack the necessary digital skills and awareness to engage meaningfully and safely with these technologies. The absence of adequate digital education poses not only a challenge to equitable access to future employment opportunities but also increases the risk of misinformation, cyberbullying, fraud, and misuse of AI-driven platforms. There is an urgent need for targeted programmes to bridge this digital divide and to ensure that technological advancement becomes a tool of empowerment rather than exclusion. I urge the Government to consider launching structured digital literacy initiatives in schools, colleges, and community centres, including the integration of responsible technology usage into the formal education curriculum. Additionally, measures should be taken to ensure availability of affordable digital devices and internet access in underserved areas.

(ends)

Re: Need to develop an eco-system of water and forest conservation promoting environmental balance and rural livelihood in Udaipur Parliamentary Constituency

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : उदयपुर लोकसभा क्षेत्र मुख्यतः एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ से निकलने वाली अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। यदि इन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इस क्षेत्र में जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा और पेयजल आपूर्ति स्थायी रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। इस हेतु सुविचारित जल संसाधन योजना की दरकार है। साथ ही, यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत अनुकूल है जहाँ औसतन 90 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहां की राजकीय एवं अनुपयोगी चारागाह व वनभूमि पर आम, चीकू, गोंदी, करौंदा जैसे बहुउपयोगी वृक्षों का व्यापक व व्यवस्थित रोपण की असंदिग्ध संभावना है। इससे न केवल क्षेत्र में हरित वनावरण और जैव विविधता बढ़ेगी, बल्कि लघु वन उपज के माध्यम से स्थानीय जनजातीय समुदाय को रोजगार एवं आय के अवसर भी प्राप्त होंगे। अतः सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस हेतु उदयपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत एक विशेष एकीकृत योजना तैयार की जाए, जिससे जल संरक्षण, वन संवर्धन, पर्यावरणीय संतुलन एवं ग्रामीण आजीविका को एकीकृत रूप से बढ़ावा दिया जा सके।

(इति)

Re: Proposed establishment of Mega Coaching Complex in Shisho Railway Station in Darbhanga, Bihar

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा) : शीशो स्टेशन पर रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स के अति शीघ्र निर्माण का मुद्दा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।दरभंगा स्टेशन मिथिला का सबसे व्यस्ततम स्टेशन है। इस स्टेशन से प्रतिदिन औसतन 15 ट्रेन खुलती हैं और 51 ट्रेन गुजरती है।इसके अलावा प्रति दिन 14 माल ट्रेन गुजरती है। इस स्टेशन पर सीमित ढांचागत सुविधाओं के कारण ट्रेनों का समयबद्ध परिचालन मुश्किल हो रहा है। लाइन के अभाव के कारण ट्रेन घंटों विलंब से चलती हैं।घनी आबादी के मध्य अवस्थित होने के कारण दरभंगा स्टेशन का पुनर्विकास मुश्किल प्रतीत हो रहा है।इन समस्याओं के समाधान हेतु दरभंगा स्टेशन से लगभग 04 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शीशों स्टेशन पर रेलवे द्वारा मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित कोचिंग कॉम्प्लेक्स में 05 वाशिंग पीट, 03 स्टेबलिंग लाइंस, 01 शाटिंग लाइन और 01 सिक लाइन बनाने की योजना है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर न सिर्फ ट्रेनों का समयबद्ध परिचालन संभव हो सकेगा अपितु कई लंबित ट्रैनों का भी परिचालन संभव हो सकेगा और क्षेत्र का देश के दूसरे भागों से संपर्क के नए रास्ते खुलेंगे। रेलवे के राजस्व में भी करोड़ों रुपए की वृद्धि होगी। इस परियोजना का निर्माण अति शीघ्र पूरा किया जाय।

(इति)

Re: Need to include Sivakasi Railway Station in Tamil Nadu under Atmanirbhar Bharat Station Scheme

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I rise today to strongly urge the Ministry of Railways to include Sivakasi Railway Station, located in my Virudhunagar Parliamentary Constituency, under the Atmanirbhar Bharat Station Scheme. Sivakasi is not only a key town in Tamil Nadu but also a national industrial hub, well known for its fireworks, printing, and match industries. These industries serve as a backbone for local employment and national exports. However, the current condition of the Sivakasi Railway Station does not reflect the economic significance of the region. It lacks basic modern infrastructure, passenger amenities, and facilities for smooth freight handling. The Atmanirbhar Bharat Station Scheme is a visionary initiative to transform railway stations into modern, world-class transit hubs. Sivakasi deserves to be part of this scheme, both to serve its high passenger footfall and to support the logistical needs of its industries. Upgrading Sivakasi Railway Station will improve not only passenger comfort and safety but also stimulate local economic growth, attract investments, and create jobs. I therefore request the Hon'ble Minister of Railways to prioritize this demand and initiate the process of including Sivakasi Railway Station under the Atmanirbhar Bharat Station redevelopment programme.

(ends)

Re: Need to carry out the construction work on National Highway No. 66 across Vadakara in Kerala in scientific and technologically sound manner

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): The construction of National Highway 66 across Vadakara raises serious safety and environmental concerns, including collapsed bridges, landslides, eroded service roads, and waterlogged stretches. The project has resulted in many alarming incidents. Experts have warned about the unscientific soil excavation, poorly planned hillside cuts, and inadequate drainage. These structural failures threaten the lives and livelihoods of the people living in the area. The onset of monsoon further worsened the road conditions with waterlogging and mud accumulation. Recently, a section of private bus operators resorted to a token strike protesting against the poor condition of service roads along the under-construction National Highway-66. The reason for the waterlogging is the unscientific construction of drainage. On many roads, the drainage ridges are above the road level. While the State expects more downpours in the coming months, the people residing along the road, as well as the pedestrians, are under the constant fear of possible landslides. Since we have highly populated places on each side of the road, the construction activities have seriously affected the daily lives of the people. In this context, I request you to understand the intensity of the situation and intervene urgently to reduce the fear of the people.

(ends)

Re; Need for comprehensive measures to address the dropout rates in schools of Assam

MD. RAKIBUL HUSSAIN (DHUBRI): I wish to raise the serious issue of school dropouts in Assam. According to the Unified District Information System for Education (UDISE), my State had one of the highest dropout rates in the country, trailing only behind Bihar and Meghalaya. This crisis is further reflected in Ministry of Education data, showing that 63,848 children were out of school in Assam during the 2024–25 academic year, the third highest in the country. Therefore, I would like to know as to what steps Government is taking in this regard. We hear grand slogans about Viksit Bharat and Digital India but in Assam, thousands of children are being pushed out of the classroom. Therefore, I urge the Ministry of Education to take urgent action alongside the Assam Government to address the alarming dropout rates. This must include strengthening school infrastructure, address teacher shortages, and ensuring support for at-risk children. No child should be pushed out of the education system.

(ends)

Re: Need to expedite construction work on Dimapur- Tizit railway line in Nagaland

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): I would like to raise the issue regarding construction of Dimapur-Tizit new Railway Line for which Rs. 4274 crore has been sanctioned in the year 2013-14. But after elapse of 11 years the physical progress on construction is still shown zero. In this regard, I am bringing it to kind notice of the Hon'ble Minister of Railways to kindly apprise on the progress of this project.

(ends)

Re: Need to ensure transparency in the functioning of insurance companies under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कार्यरत बीमा कंपनियों की भूमिका, जवाबदेही और पारदर्शिता की बार-बार समीक्षा की आवश्यकता है। किसानों को त्वरित और वैज्ञानिक आधार पर फसल क्षति का आंकलन कर समयबद्ध मुआवजा मिलना योजना का मूल उद्देश्य है, किंतु जमीनी स्तर पर कंपनियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता जवाबदेही का अभाव है। बीमा कंपनियों के साथ किए गए एमओयू में उनकी जिम्मेदारियाँ जैसे आकलन सीमित अवधि में दावा निपटान और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में वर्षवार फसलों का बीमा,बीमित मूल्य,किसानों से वसूली गई प्रीमियम दरें तथा एकत्रित प्रीमियम,दावों के भुगतान का ब्लॉकवार विवरण सार्वजनिक डोमेन में पारदर्शी रूप से उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही सरकार बीमा कंपनियों की मनमानी,क्लेम भुगतान में अनुचित देरी, अपारदर्शी प्रक्रिया जैसी शिकायतों पर प्रभावी दंडात्मक कार्यवाही के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव करके कठोर नियम लाए। चूंकि यह विषय किसानों की आजीविका और सरकारी धन के समुचित उपयोग से जुड़ा है इसलिए बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों की संख्या, निस्तारण की अवधि, पारदर्शिता हेतु पोर्टलों, हेल्पलाइन निगरानी समितियों की प्रभावशीलता की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। मैं सरकार से मांग हैं कि योजना की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, कंपनियों की मनमानी रोकने हेतु सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएं।

(इति)

Re: Need to review the fee structure of Indian Institutes of Management and provide fee concession to students belonging to Economically Weaker Sections

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : मैं इस सदन के माध्यम से IIM जैसे बड़े और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में हो रही फीस की भारी बढ़ोतरी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। साल 2007 में IIM अहमदाबाद की MBA की फीस ₹4 लाख थी, जो आज बढ़कर ₹27 लाख हो चुकी है। यानी फीस में 575% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस दौरान महंगाई केवल 146% बढ़ी है। यह अत्यंत अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। 2017 में बने IIM कानून ने इन संस्थानों को फीस निर्धारण की पूर्ण स्वायत्तता दे दी। इसके चलते अब IIM संस्थान मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में हॉस्टल, मेस और अन्य खर्चों को जोड़ने पर MBA की कुल लागत ₹30 लाख से अधिक हो जाती है। इस फीस का सीधा असर गरीब और वंचित छात्रों पर पड़ रहा है, जिनके लिए अब IIM जैसी संस्थाओं में प्रवेश पाना लगभग असंभव होता जा रहा है। सरकार से आग्रह है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर IIM की फीस संरचना की समीक्षा की जाए और गरीब छात्रों के लिए रियायती व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(इति)

Re: Need to ensure participation of local Member of Parliament for utilization of CSR fund

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : मेरे संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र में खनन गिट्टी, बालू सैकड़ो जगह पर बड़े पैमाने पर होता है। जिसमें CSR के तहत साल में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रुपया आता है । उस पैसे से 70% खनन क्षेत्र और 30% अन्य जगहों पर विकास कार्य करना है मगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जिलाधिकारी से संचालित होता है वही अध्यक्षता करते हैं। मगर जिलाधिकारी के पास CSR के अलावा तमाम विभाग का कार्य रहता है जिसके वजह से CSR के पैसा पर ध्यान नहीं देते हैं । इसलिए CSR के फण्ड के उपयोग हेतु स्थानीय सांसद को अध्यक्षता करने की अनुमति दी जाए ताकि सुचारू रूप से विकास हो सके ।

(इति)

Re: Need to declare the road connecting Pratapgarh, Kaushambi and Prayagraj districts in Uttar Pradesh as National Highway

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रयागराज-लखनऊ मार्ग पर जनपद प्रतापगढ़ के मंनिखेड़ा से होते हुए यह मार्ग राज्य ग्राम चौबसी, दभेहटा पुल (राम ब्रिज), दनियालपुर, सैनी चौराहा, जीतौरा रोड, कामसिन मोड़, सौरई बाजार, मंझनपुर, करारी, भेवरिका कटरा, सर्सई अकील, पुरखास, चंदवा का पुरवा, यमुना नदी घाट से होकर जनपद प्रयागराज के रीवा मार्ग तक पहुँचता है। यह मार्ग प्रतापगढ़, कौशांबी और प्रयागराज जिलों को जोड़ता है तथा अत्यधिक व्यस्त रहता है। इस मार्ग से भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं, किंतु सड़क की चौड़ाई कम होने और स्थिति खराब होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी आवागमन का मुख्य साधन है। जनहित में इस राज्य मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर उसका चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य कराना आवश्यक है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क सशक्त हो, यातायात दबाव कम हो और आर्थिक विकास को गति मिले। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर शीघ्र निर्माण कार्य हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं।

(इति)

Re: Need to re-introduce the MP quota facility for admission of students in Kendriya Vidyalaya

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to draw the attention of this august House that recently I have been receiving calls from the parents whose son or daughter cracked medical or engineering exam after passing out from Kendriya Vidyalaya. These candidates were once admitted in KV from my MP quota, which gave me immense pleasure and satisfaction that I could play a part in helping them access a better future. I had supported the admission of more than 70 students to KV during 2014 to 2021. But unfortunately admission of students in KV from MP quota was abolished from 2022. My humble request to the Central Government and also to the Ministry of Education is to kindly reintroduce the MP quota facility for admission of students in KV from the next academic session.

(ends)

Re: Need to increase the allowance of Divyangjan from Rs. 300/- to Rs. 5000/-

SHRI MALAIYARASAN D. (KALLAKURICHI): The Union Government has been providing only Rs. 300/- under the Indira Gandhi Pension Scheme since 2012 till now. The Union Government has not increased the allowance to Rs. 5000/- despite the recommendation of the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment to increase the allowance in a reasonable manner. Therefore, the Union Government should increase the allowance to Rs. 5000/-. Similarly, the current rule of providing allowance only if there is 80% disability should be changed to provide allowance only if there is 40% disability as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. The current rule of providing allowance only after reaching the age of 18 should also be changed and extended it to all age groups.

(ends)

Re: Need to provide houses to people living in reserve forest area in Aarey Colony and Dindoshi in Mumbai under Pradhan Mantri Awas Yojana

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं सदन का ध्यान मुंबई के संरक्षित वन क्षेत्रों,विशेष रूप से आरे कॉलोनी और दिंडोशी के अप्पा पाडा जैसे इलाकों में रहने वाले नागरिकों की गंभीर मानवीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।ये परिवार कई पीढ़ियों से इन क्षेत्रों में रह रहे हैं,लेकिन आज भी वे पानी,बिजली,सड़क,स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं के बिना अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर हैं। इन निवासियों की पुनर्वास प्रक्रिया जटिल और दीर्घकालिक है लेकिन जब तक यह पूरी नहीं होती,हम इन नागरिकों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते।एक सम्मानजनक जीवन जीना और बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करना उनका भी संवैधानिक अधिकार है।सुविधाओं के अभाव में ये बस्तियां बीमारियों और सामाजिक समस्याओं का केंद्र बन गए है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर भारतीय के पास अपना घर और "घर के साथ सुविधा"भी हो।मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY)के तहत एक विशेष योजना बनाई जाए।इस योजना के माध्यम से उन्हें स्थायी आवास प्रदान किया जाए और उसके पहले उन्हें पानी,बिजली,शौचालय,सड़क और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों।

(इति)

Re: Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Samastipur Parliamentary Constituency

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : समस्तीपुर, जो शिक्षा और संस्कृति की धरोहर है, यहाँ के युवाओं को शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है।समस्तीपुर का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है और यहाँ का युवा उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए संघर्ष करता है। केंद्र सरकार ने 8,232 करोड़ रुपये की लागत से 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। यह एक development oriented कदम है, लेकिन बिहार को इस योजना में एक भी स्कूल नहीं दिया गया है। बिहार, जो शिक्षा के मामले में पहले से ही पिछड़ा है, उसको इस तरह से वंचित रखना अनुचित है।बिहार के समस्तीपुर जैसे क्षेत्रों में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। यह कदम न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगा बल्कि क्षेत्रीय विकास और सामाजिक उत्थान का भी साधन बनेगा। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस पर गंभीरता से विचार करें और बिहार के साथ न्याय करें।

(इति)

Re: Need to address the problems arising out of recent imposition of tariff on aqua exports by USA.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): US President announced 25% tariff on Indian exports plus penalty for buying oil and Defence equipment from Russia. Commerce Minister made Statement to this effect in Parliament on 31-07-2025. This has fallen like a bolt from the blue on aquaculture sector in India, since we are leaders in aquaculture exports. AP is leader in aquaculture production and exports. With 25% tariff + penalty and 5.77% Countervailing Duty, India will be nowhere with other competing countries like Ecuador which faces only 10% duty. Secondly, India is already suffering with less productivity–1.6-4 MT per hectare when compared to 15-20 MT in Ecuador, Indonesia, Vietnam and China. Chief Minister of Andhra Pradesh has also written letter in this regard to the Minister of Commerce to protect Indian aqua industry at any cost. Hence, I appeal hon. PM to personally intervene, discuss with US President and see that tariffs on aqua exports from India attract only 10% basic tariff.

(ends)

Re: Need to stop alleged privatization of power sector

श्री अमरा राम (सीकर) : केंद्र सरकार की बिजली निजीकरण की नीति सार्वजनिक धन और अरबों रुपए निवेश करके संपूर्ण देश में जो तंत्र खड़ा किया गया है, उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन एवं वितरण व्यवस्था की गई है, जिसमें लाखों कर्मचारी कार्यरत है तथा आमजन का विकास कृषि उद्योग का विकास एवं रोजगार का आधार है, उसके हित मे नही है। चंडीगढ़ विद्युत कंपनी ढाई सौ करोड़ रुपए सालाना मुनाफा दे रही थी जिनको निजी हाथों में सौंपने का काम किया है। अब सरकार क्रॉस सब्सिडी बंद करके स्मार्ट मीटर लगाकर उत्पादन से लेकर वितरण तक के लिए राज्य सरकारों पर निजीकरण एवं स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए विवश कर रही है। देश में 65 करोड़ चालू मीटरों को कबाड़ में फेंकने तथा 65 करोड़ नये स्मार्ट मीटर लगाने से जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ होगा। आज भी हमारे देश में उपभोग विकसित राष्ट्रों से काफी कम है अतः सदन और सरकार से मांग है कि बिजली का निजीकरण एवं जबरन स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जावे।

(इति)

Re: Need to provide benefits of 7th Pay Commission to lecturers of Polytechnic College in Daman as per the decision of CAT

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : मै आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दमण स्थित पॉली टेक्नीक कॉलेज के lecturers को अब तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन नहीं मिल रहा हैं। यह दुखद है कि जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात की जा रही है, इन lecturers को अपने हक़ के पैसे लेने के लिए मजबूरन Central Administrative Tribunal (CAT) की मुंबई बेंच में याचिका दायर करनी पड़ी। CAT ने lecturers के पक्ष में निर्णय देते हुए कॉलेज को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने के लिए निर्देशित किया। हालांकि कॉलेज ने निर्णय को लागू करने के बजाय CAT के निर्णय की अवमानना करते हुए इन lecturers के तबादले कर दिए। इन याचिकाकर्ताओं ने इसके विरुद्ध जब अवमानना याचिका दायर की। फिर से CAT ने UT प्रशासन को संशोधित वेतन देने के लिए निर्देशित किया। उसके बाद भी प्रशासन ने इस निर्देश को लागू नहीं किया है । मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन सभी lecturers को उनके हक़ का वेतन तथा एरियर समेत, तत्काल प्रभाव से दिया जाए एवं उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिन्होंने CAT के निर्णयों की अवमानना की है।

(इति)

Re: Need to expedite the process for development of Greenfield Highway 744 in Kollam Parliamentary Constituency

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The development of Greenfield Highway 744 in my Parliamentary Constituency is standstill. The acquisition process was started and 3D notification was issued with respect to certain villages. The land acquisition processes in other villages are in different stages. The property owners are in crisis due to delay in disbursement of compensation. The delay in disbursement of compensation became a public issue. The administrative delay from the part of Central and State Government regarding the share of land acquisition, royalty and GST delayed the project. The development from Edamon to Schencotta is also delaying. The land owners are waiting for compensation. Hence I urge upon the Government to initiate immediate action to disburse the compensation, complete the land acquisition process for Greenfield highway and expedite the process for Edamon to Schencotta and execute the development of NH 744 in Kollam Lok Sabha Constituency in a time bound manner.

(ends)

… (*Interruptions*)

गोवा राज्य, सभा निर्वाचन-क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक - जारी

1406 बजे

माननीय सभापति : आइटम नं. 14 – श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 17 दिसम्बर, 2024 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात्:-

> "कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार स्थानों का आरक्षण करने में समर्थ होने और गोवा राज्य की विधान सभा में स्थानों का पुनः समायोजन जहाँ तक ऐसा समायोजन गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने से आवश्यक हो गया है, के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदया, इसे पारित करने के अनुरोध से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस पर पहले चर्चा हो चुकी है और करीब 14 माननीय सांसदों ने इसमें भाग लिया है, जिनमें सभी दलों के लोग हैं।… (व्यवधान) यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आर्टिकल 332 यह कहता है कि अगर एसटी की जनसंख्या है, लेकिन एसटी की सीट नहीं है, तो उस विधान सभा में एसटी की सीट होनी चाहिए। … (व्यवधान) जैसे- गोवा में विधान सभा की 40 सीटें हैं। … (व्यवधान) जिसमें एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, परन्तु अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। … (व्यवधान) यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्ष 2001 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार उस समय गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या केवल 566 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि कुल जनसंख्या 13 लाख से अधिक थी। … (व्यवधान) इस प्रकार गोवा के एसटी समुदाय, विधान सभा में अपने समुदायों के लिए संविधान के अनुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वर्ष 2003 में गोवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में तीन नए समुदायों कुनबी, गावड़ा और वेलिप को शामिल करने हेतु संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश) संशोधन, अधिनियम, 2003 पारित किया गया। … (व्यवधान) इस प्रकार राज्य में एक विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें एसटी समुदाय की आबादी एससी से काफी अधिक है। … (व्यवधान) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा राज्य की कुल जनसंख्या 14,58,545 में से एससी वर्ग की जनसंख्या 25,449 है तथा एसटी वर्ग की जनसंख्या 1,49,275 है। … (व्यवधान)

इस परिस्थिति में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग विधानसभा में आरक्षण के संवैधानिक लाभ को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 में संशोधन करने और राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए गोवा राज्य की विधान सभा में सीटों को पुनः समायोजित करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने हेतु कानून बनाना अनिवार्य है। … (व्यवधान) अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाए। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार स्थानों का आरक्षण करने में समर्थ होने और गोवा राज्य की विधान सभा में स्थानों का पुनः समायोजन जहाँ तक ऐसा समायोजन गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने से आवश्यक हो गया है, के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

खंड 2

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Chairperson, I am moving Amendment No. 3.

I beg to move:

Page 2, line 6,-

for "2001"

substitute "2011". (3)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 3

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Chairperson, I am moving Amendment No. 4.

I beg to move:

Page 2, line 14,-

after "estimated"

insert "within a maximum period of two years". (4)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, श्री राजेश रंजन जी - उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, प्रो. सौगत राय जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, श्री अभय कुमार सिन्हा जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 5

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Chairperson, I am moving Amendment Nos. 5 and 6.

I beg to move:

Page 3, line 2,-

for "determine its own procedure"

substitute "follow the procedure as may be prescribed". (5)

Page 3, line 8,-

after "any person"

insert "or authority". (6)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, प्रो. सौगत राय।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1410/VB/SNL)

खंड 6

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I am moving my amendment.

I beg to move:

Page 3, line 19,-

omit "and shall not be called in question in any court." (7)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य प्रो. सौगत राय जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I am moving my amendment.

I beg to move:

Page 3, line 42,-

after "up-to-date"

insert "and before publishing the notification in the Official Gazette reasonable opportunity of being heard shall be given to the stakeholders". (8)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I am moving my amendment.

I beg to move:

Page 4, line 6,-

for "two years"

substitute "one year". (9)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 1, line 4,-

for "2024"

substitute "2025". (2)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Seventy-fifth"

substitute "Seventy-sixth". (1)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Madam, I rise to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(1415/SJN/SMN)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यगण, गोवा राज्य, सभा निर्वाचन-क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024 जैसा महत्वपूर्ण विधेयक पास हुआ है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : देश की जनता यह सब कुछ देख रही है और लोकतंत्र की मर्यादा बिल्कुल शर्मसार हो रही है। आप सब बहुत ही सीनियर सदस्य हैं। आप सब बैठ जाइए। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार उन सभी विषयों पर चर्चा करना चाहती है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1415 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 06 अगस्त 2025 / 15 श्रावण 1947 (शक)

के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।